(47)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

संख्या ए/डीडीएमए/कोविड/2020/47 **दिनांक. 14.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा सहित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखते हुए विभिन्न उपायों में तालमेल बनाने पर जोर दिया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड–19 महामारी की रोकथाम के लिए, आवश्यक दिशा–निर्देशों के साथ दिनांक 25.03.2020 के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन अधिसूचित किया था।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति को समुचित ढंग से निपटने के आवश्यक उपायों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी संबंधित अधिकारियों को विभिन्न आदेश/अनुदेश जारी किये हैं।

और जबकि, भारत सरकार ने चूंकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे देश में पूर्णबंदी 15.04.2020 से 03 मई 2020 तक बढा दी है।

इसलिए अधोहस्ताक्षरी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्देश देता है कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि में विस्तार को देखते हुए, वे सभी आदेश जो 14 अप्रैल 2020 की मध्यरात्रि तक वैध थे, अब 3 मई 2020 की मध्यरात्रि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले, हो मान्य रहेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद।
4. आयुक्त (दक्षिण डीएमसी/पूर्वी डीएमसी/उत्तरी डीएमसी)
5. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के सभी सदस्य।